कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 15/03/2017.

क्रमांक– 600/999/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2017–18 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा "आन–लाईन" प्रस्तुत आवेदन–पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 31/12/2016 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/01/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. माननीय् उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक डबल्यू.पी. 8151/2016 में दिनांक 13/01/2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 289/11/न्याया/17/सीसी/अड़तीस दिनांक 27/02/2017 के तहत् आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श किया जाना अनिवार्य किया गया है।

5. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत नवीन/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये आवेदन–पत्रों का परीक्षण कर मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1(5) के पालन में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु संस्थावार सूचना संस्था के "लॉग–ईन" पर "अपलोड" कर, एवं इसकी सामान्य सूचना विभागीय 'वैब–साईट' पर प्रदर्शित की जाकर पूर्ति के दस्तावेज प्राप्त किये गये।

6. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के पत्र कमांक शैक्षणिक/जी.वि./पीएआर/2017/627 दिनांक 9.3.2017 द्वारा शासनादेश दिनांक 27/02/2017 के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया।

7. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से प्राप्त अभिमत के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण किया गया।

8. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अभिमत तथा परीक्षण के तथ्यों को दृष्टिगत रख आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:–

(1)

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मध्य भारत शिक्षा समिति, ग्वालियर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	माधव विधि महा0,ग्वालियर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	निरंक
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0एल0एल0बी0–पंचम वर्ष

5	जीवाजी वि0वि0 ग्वालियर का अभिमत	महाविद्यालय में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम में कोड–28 की नियुक्ति कराई गई हैं, अतः निरंतरता की अनुशंसा की जाती है.
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	धारा 27 में समिति के अनुमोदित सदस्यों की सूची, बी0सी0आई के मानण्डों के मान से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हैं।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर

आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0एल0एल0बी0–पंचम वर्ष

(2)

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	चौधरी रूस्तम सिंह यादव शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भिण्ड
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	चौधरी रूस्तम सिंह ग्रुप आफ कालेज, लॉ भिण्ड
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. एल0एल0बी0–द्वितीय 2. बी0ए0एल0एल0बी0–द्वितीय
5	जीवाजी वि0वि0 ग्वालियर का अभिमत	महाविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों में कोड–28 में कोई नियुक्तियां नहीं कराई गयी हैं, अतः निरंतरता की अनुशंसा नहीं की जा सकती है.
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं। बैंक से वेतन भुगतान का प्रमान नहीं। धारा 27 की अनुमोदित सूची अप्राप्त। ईपीएफ कटोत्री के दस्तावेज अप्राप्त। सत्र 2010-11 से 2015-16 तक विश्वविद्यालय का जीरो ईयर का प्रमाण पत्र अप्राप्त, बी0सी0आई के मानण्डों के मान से शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य पूर्तियां नहीं है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर

आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. एल0एल0बी0–द्वितीय 2.बी0ए0एल0एल0बी0–द्वितीय

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यकर्मों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक-- 60/571/आउशि/सम्बद्धता/17.
<u>प्रतिलिपि</u> :--

भोपाल, दिनांक-- 15/03/2017.

1-- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।

2-- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3-- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, ग्वालियर, (म०प्र०)।

4-- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, (म०प्र०)।

5-- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर संभाग, (म०प्र०)।

6-- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।

---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.